



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-29

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 257261 दिनांक 01/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Krishna Gopal Gupta S/o Munshi Lal Goyal	श्री जगदीश पुत्र श्री लादू राम	13	180.00 SQ. YARD	Cooperative	GANGARAM NAGAR Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्रीमती उषा गर्ग बहैसियत मुख्त्यारआम श्री जगदीश द्वारा दिनांक 30.10.2006 को श्री कैलाश चन्द गुप्ता पुत्र श्री जगन लाल गुप्ता के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्री कैलाश चन्द गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत श्री कोमल चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन के पक्ष में निष्पादित मुख्त्यारनामा आम, श्री कोमल चन्द जैन बहैसियत मुख्त्यारआम श्री कैलाश चन्द द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 05.06.2008 को श्री रतन लाल



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

अग्रवाल पुत्र श्री
भैरू लाल अग्रवाल
के पक्ष में
निष्पादित
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र तथा श्री रतन
लाल अग्रवाल
द्वारा उक्त
भूखण्ड बाबत
दिनांक
10.11.2023 से
श्री कृष्ण गोपाल
पुत्र श्री मुंशी लाल
गोयल के पक्ष में
निष्पादित
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Krishna Gopal Gupta S/o Munshi Lal Goyal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |